

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी - विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 60/2024 वाद

GCMS No. - 2024/214

1. श्यामलाल पुत्र कालुरामजी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

-वादी

बनाम

1. उदयलाल पुत्र कालुरामजी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. पोखर पुत्र कालुरामजी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
3. राजुडी पुत्री कालुरामजी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. मांगीबाई पुत्री कालुरामजी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
5. सोहनी पत्नि कालुरामजी जाति कुमावत निवासी मिण्डाना तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

पत्रावली आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रहलाद प्रजापत की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम निपटारा हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वादिया का वाद पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में अन्तिम डिक्री किया जाता है। विवादित आराजियात ग्राम मिण्डाना पटवार हल्का मिण्डाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज० के खाता नं० 27 की आराजी नं० 548 रकबा 0.1100 हेक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं० 569 रकबा 0.1000 हेक्टेयर गे० मु०चाह कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.2100 हेक्टेयर स्थित हैं। इसी प्रकार खाता नं० 92 की आराजी नं० 236 रकबा 0.1100 हेक्टेयर लगानी 55 पैसा, आराजी नं० 241 रकबा 1.6800 हेक्टेयर लगानी 31 रुपये 92 पैसा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.7900 हेक्टेयर लगानी 32 रुपये 47 पैसा स्थित हैं। इसी प्रकार खाता नं० 29 की आराजी रकबा 0.7800 हेक्टेयर में वादी का नाम शांतिलाल के बजाय श्यामलाल व प्रतिवादी



सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा

श्यामलाल बनाम उदयलाल

प्रकरण संख्या - 60/2024 वाद

GCMS No. - 2024/214

नंबर 4 का नाम भुरकी के बजाय मांगीबाई घोषित किया जाता है व इसी अनुसार तहसीलदार निम्बाहेडा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 01.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर

निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

